

२६

12.46 ₹
24/4/14

१४
राजपत्र

प्रस्तुप-2 क
(नियम 4 देखिये)

१६

नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग-1

(गान्यताप्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए १८ - सिवान संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र

से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम रंजन कुमार

पिता/माता/पति का नाम अजीत कुमार

उसका डाक का पता ग्राम-देवपुर, जौह - नन्दपुर अमरादी, भाजा - रघुनाथपुर, जौह - सिवान

उसका नाम १८ - सिवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र [में समाविष्ट] १०८ -

रघुनाथपुर [विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं. १४३ में क्रम सं. ०

६१६ पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम है जो

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र [में समाविष्ट] विधान सभा

निर्वाचन क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं. ० में क्रम सं. ०

पर प्रविष्ट है।

तारीख 24-3-2014

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अस्थर्थी द्वारा उपयोग किये जाने के लिए)

18 - निवान

संसदीय

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित को अस्थर्थी के रूप में नाम निर्देशित करते हैं।

अस्थर्थी का नाम रंजन कुमार

पिता/माता/पति का नाम अनंजीत कुमार

उसका डाक पता इम्ब-डेवपुर, पौर-नन्दपुर अमवारी, भारा-रघुनाथपुर, जिल्हा-सिवान

उसका नाम 18 - निवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र *(में समाविष्ट) 108
रघुनाथपुर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक 143 में क्रम संख्यांक 616 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक				पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
क्रम संख्या	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम संख्या			
1	2	3	4	5	6	7
1	रघुनाथपुर	143	607	ललन सिंह	ललन सिंह	24-04-14
2	रघुनाथपुर	143	734	दिनेश द सिंह	दिनेश द सिंह	24-04-14
3	रघुनाथपुर	143	744	मुना तिवारी	मुना तिवारी	24-04-14
4	रघुनाथपुर	143	846	रमेश सिंह	रमेश सिंह	24-04-14
5	रघुनाथपुर	143	1283	उपेन्द्र सिंह	उपेन्द्र सिंह	24-04-14
6	रघुनाथपुर	143	1110	बलिराम सिंह	बलिराम सिंह	24-04-14
7	रघुनाथपुर	143	823	बलिस्टर सिंह	बलिस्टर सिंह	24-04-14
8	रघुनाथपुर	143	622	सुरजमाल शर्मा	सुरजमाल शर्मा	24-04-14
9	रघुनाथपुर	143	614	राकेश कुमार	राकेश कुमार	24-04-14
10	रघुनाथपुर	143	246	विनोद कुमार पाठ्ये विनोद कुमार पाठ्ये	विनोद कुमार पाठ्ये	24-04-14

कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

भाग-3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि —

(क) मैंने ३६ वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

[नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में लागू न हो दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए।

(ii) मुझे इस निर्वाचन में भारत विकास भवन दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दल है / मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में

- (i) फल बाली टौकरी
- (ii) बिजली का पंखा
- (iii) कंदी

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर लिखिये (हिन्दी) (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

* मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं लागू न हो **जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो लागू न हो राज्य के उस राज्य में के लागू न हो (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित ***जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में ****नाम निर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख २५.५.१५

Ramjan Kumar
(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

* जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और द्वीप तथा लक्षद्वीप की दशा में 'समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र' शब्द काट दीजिए।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

*** लागू न होनेवाले शब्द काट दीजिए।

**** जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें — 'मान्यताप्राप्त राजनीतिक' दल से निर्वाचन अयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनीतिक दल अभिग्रेत है।

भाग-3 क
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा)

क्या अभ्यर्थी को—

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की—
 (क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ; या हाँ / नहीं
 (ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,
 सिद्धदोष ठहराया गया है ; या
(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है
यदि उत्तर “हाँ” में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट

संख्याक

३०२

(ii) पुलिस थाना

(थाने)

श्रीनगर

जिला (जिले)

श्रीनगर

राज्य

जम्मू और कश्मीर

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था

श्रीनगर

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/ (तारीखें)

श्रीनगर

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था

श्रीनगर

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारवासों) की अवधि और/ या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें

श्रीनगर

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें).....श्रीनगर

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हाँ / नहीं

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां.....श्रीनगर

(x) उस न्यायालय (जून न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे.....श्रीनगर

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित है.....श्रीनगर

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो—

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें).....श्रीनगर

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति).....श्रीनगर

स्थान : स्थिति कानून

तारीख : २५.५.१५

Ramyam Kumar
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

भाग — 4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भा जाए)

नाम निर्देशन-पत्र की क्रम सं - ३६
यह नामनिर्देशन मुझे / मेरे कार्यालय में २४-४-१५ (तारीख) को १२.४६ पैसा
* अमर्थी / प्रश्नापूर्क द्वारा परिदित किया गया।

तारीख २४-०४-१५

* जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिए।

भाग — 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विवेचन्य
मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 36 के
अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विवेचन्य करता हूँ : —

तारीख

रिटर्निंग आफिसर

१०

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
SIWAN SCORER, SIVAN

COURT FEE

Authorization No. 2213



STAMP DUTY
00000

Rs. 0000100

24.4.2014

बिहार
JUDICIAL

BIHAR

**Zero*Zero*Zero*Zero*One*Zero*Zero*

113
5143/6314174

"प्रस्तुप 26"

(नियम 4क देखिए)



18 - स्थिवान

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) स्थिवान - लोक सभा (सदन का नाम) के लिए
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं राजनीति के मारे *पुत्र/पुत्री/धर्ती उन्नीति के मारे

आयु 36 वर्ष, जो ग्राम - देवपुर, पोल - नदपुर उमवाडी,

वाना - नदुनाबपुर, जिला - सिवान (डाक का

पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता
हूं/करती हूं शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं:-


(1) मैं भारत विकास मोर्चा (*राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा

किया गया अभ्यर्थी / **एक स्वतंत्र अभ्यार्थी के रूप में लड़ रहा है।

(*जो लागू न हो उसे काट दे)

(2) मेरा नाम 108 राजनाबपुर (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 108
के क्रम सं 616 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन 9939945880 है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) ...



(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के बौरे और आयकर विवरणी फाइल करने की प्रारिथति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	न्नागुनदी	न्नागुनदी	न्नागुनदी
2.	पति या पत्नी	न्नागुनदी	न्नागुनदी	न्नागुनदी
3.	आश्रित-1	न्नागुनदी	न्नागुनदी	न्नागुनदी
4.	आश्रित-2	न्नागुनदी	न्नागुनदी	न्नागुनदी
5.	आश्रित-3	न्नागुनदी	न्नागुनदी	न्नागुनदी

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किरी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी :-

(i) निम्नालिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण बौरे	न्नागुनदी
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	न्नागुनदी
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और सज्जान लेने वाले आदेश तक नामीख्त	न्नागुनदी
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (किसी) की विवरणी की गई	न्नागुनदी



(इ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	त्वारुनरी
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी संक्रमणिका अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई हैं/है	त्वारुनरी

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है पूर्वांकता

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	त्वारुनरी
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	त्वारुनरी
(ग)	पूर्वांकता आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	त्वारुनरी

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	त्वारुनरी
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, नामांकन संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	त्वारुनरी



(ग)	अधिरोपित दंड	जागृती
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथति	जागृती

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3. – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य रिटार्न एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहितों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 – रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	फत्ति आ पत्नी भारा	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	५०,०००/-	१५०००/-	जागृती	जागृती	जागृती
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	संसाधी अवैध प्राप्ति वाला - नोटिंग रोड ४८/१०७४९१३ २३४१-८६१२- ३५-१११ ११०००/- २३३२६१८४ १०००=००	जागृती	जागृती	जागृती	जागृती
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों/डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	जागृती	जागृती	जागृती	जागृती	जागृती

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाकें बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के बौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	सप.वी.आर्डि.में पर्सनल एजेंसी संसाधन प्रबन्ध कार्य परिप्रेक्ष 27.6.14 एल.आर्डि.सी. 516878952 S.V. Value — 16,344 = 00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मिक्रोजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vii)	जेरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएँ) (भार और मूल्य के बौरे)	लागू नहीं	लाना 18000 कलंतीन लास्क दृष्टिकोण डा.प्रहना।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ix)	समग्र कुल मूल्य	1,18,578=00	लीक्स लाइनर एस्ट्रेलिया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

आ. स्थावर आस्तियों के बौरे

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवरिथति (अवरिथतियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ) क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	संकुलित कृषि भूमि परिवर्तन भूमि परिवर्तन भूमि परिवर्तन भूमि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं <small>(प्राचलक्षण)</small>	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं <small>एक सूचना</small>	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(IV)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	लागू नहीं <small>प्राचलक्षण</small>	लागू नहीं <small>प्राचलक्षण</small>	लागू नहीं <small>प्राचलक्षण</small>	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं <small>प्राचलक्षण</small>	लागू नहीं <small>प्राचलक्षण</small>	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



| | निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) | लागू नहीं |
|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं) | लागू नहीं |
| | स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख | लागू नहीं |
| | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) | लागू नहीं |
| | विकास, संनिमार्ण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान | लागू नहीं |
| | अनुमानित चालू बाजार मूल्य | लागू नहीं |
| (V) | अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित) | लागू नहीं |
| (VI) | पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य | लागू नहीं |

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोधों के बारे नीचे देता/हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	मूल	मूल	मूल	मूल	मूल
	पूर्वोक्त वर्णित से मिन किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	मूल	मूल	मूल	मूल	मूल
	कोई अन्य दायित्व	मूल	मूल	मूल	मूल	मूल
	दायित्वों का कुल योग	मूल	मूल	मूल	मूल	मूल
(II)	सरकारी शोध : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध	मूल	मूल	मूल	मूल	मूल
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	मूल	मूल	मूल	मूल	मूल



	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं स्वप्राप्ति - स्वेच्छा

(ख) स्वतंत्रा पत्ती उत्तरणी

(10) मेरी शैक्षिक अहंता नीचे दिये अनुसार है :-

..... द्वन्द्वात्मक, द्वन्द्वोन्नत्यात्मक, द्वन्द्वात्मक, 1998 विद्योन्नामे

विश्वविद्यालय (भारतीयावाग) (कारक्षण)

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)



भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये व्यौरे का उद्धरण

1	अध्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ कुमार सचिन कुमार			
2	डाक का पता	ग्राम- देवपुर, जैल- नन्दपुर अमबाटी, झाना- राष्ट्रवाचपुर रोड			
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	18- दिवान लोड सभा			
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अध्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	भारत विकास मोर्चा (स्वतंत्र)			
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य			
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिन्न)	शून्य			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमत्र 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शून्य			
7 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय		
	(क) अध्यर्थी	शून्य	शून्य	शून्य	
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य	
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य	
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)	शून्य			
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



ख	स्थावर आस्तियां	शुभ	मूल्य	शुभ	शुभ	शुभ
I.	स्वअर्जित स्थावर संपति की क्रय कीमत	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
III.	निम्नलिखित की अनुमानित बर्तमान बाजार कीमत	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
9	दायित्व	शुभ	मूल्य	शुभ	शुभ	शुभ
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है	शुभ				
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ



11

उच्चतम शैक्षिक अर्हता :

सनातन देव डॉलभल डॉलज, हजारीबाग,
दिनोंका आवे विश्वविद्यालय, हजारीबाग
1998

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलों से मिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से मिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 24.4.14, को सत्यापित किया गया।

Ramjan Kumar

अभिसाक्षी

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, अस्तित्व "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।



टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामाले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देग। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याएँ हैं/हैं ९९३९९५५८८०

मेरा ई-मेल आईडी० (अगर कोई हो) है..... मूल्य

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है..... मूल्य

टिप्पण-7 शपथ पत्र के पारा 8 में वित्तीय संस्थानों के प्रति दायित्वों में विदेशी बैंकों/संस्थाओं में जमा/निवेश

सहित सूचना दें।

Ramya Kumar

Identify the deponent wth
Signed/Put L.T.I. R.T.I.
before me.

gA.4.14

